भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1566
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयाँ
1566. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की जटिल प्रक्रियाओं के कारण किसान इसका लाभ आसानी से नहीं उठा पा रहे हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनियों को वर्ष-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;
(ग) उक्त प्रयोजन हेतु बीमा कंपनियों को जारी धनराशि की तुलना में फसल बीमा दावा लाभ प्रदत्त कुल किसानों की संख्या कितनी है;
(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, दावा निपटान लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की कुल संख्या कितनी है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी दोषी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : जी, नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक सुलभ योजना है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, यह योजना किसान-अनुकूल और अधिक किफायती बन गई है। इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिका है और केंद्र सरकार की भूमिका मुख्यतः नीति निर्माण तक ही सीमित है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने इस योजना को और अधिक किसान-अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **डिजीक्लेम:** दावा निपटान/संवितरण प्रक्रिया की पूरी तरह से ट्रैक/निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों की गणना और भुगतान हेतु समर्पित **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** शुरू किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करके दावों की गणना और निपटान/संवितरण किया जाता है ताकि सभी दावों की समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित की जा सके।

(ii) **CCE Agri-App:-** CCE Agri-App के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण जो कुशल उपज अनुमान में मदद करता है।

(iii) प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों से **डीलिंक** कर दिया गया है तथा राज्य सब्सिडी के लिए एस्क्रो मेकेनिज़्म कार्यान्वित किया गया है, ताकि किसानों को शीघ्रता से दावे मिल सकें।

(iv) **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH)** किसानों को अपनी शिकायतें/समस्याएँ/प्रश्न दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल और कॉल सेंटर सहित एक अखिल भारतीय एकल टोल-फ्री एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है।

(ख) से (ङ): उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान भुगतान की गई केंद्रीय सब्सिडी और लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**केंद्र सरकार की सब्सिडी का हिस्सा**	**लाभान्वित हुए किसान आवेदन- दावों का भुगतान**
	(रुपये करोड़ में)	**(लाख में)**
2020-21	640.92	6.36
2021-22	612.32	10.37
2022-23	627.57	12.52
2023-24	321.98	11.85
2024-25	276.42	18.68
कुल	**2,479.21**	**59.78**

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभान्वित किसान आवेदनों की कुल संख्या 59.78 लाख है, जबकि आजमगढ़ जिले में 0.19 लाख किसानआवेदन लाभान्वित हुए हैं।

(च): यद्यपि, योजना के दिशा-निर्देशों में पहले से ही जुर्माने का प्रावधान मौजूद था, परन्तु खरीफ 2024 से, यदि बीमा कम्पनियों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके NCIP के माध्यम से लगाया जाता है।

****